न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–58 / 2008–09

श्रीकान्त प्रसाद शर्मा बनाम **कन्हैया प्रसाद शर्मा वगैरह**

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12/12/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0–02 / 2008–09 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दिनांक–17.02.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रथम पक्ष की तरफ से दिनांक–07.12.2016 एवं 25.04.17 को आवेदन देकर सूचित किया गया कि आवेदक श्रीकान्त प्रसाद शर्मा की दिनांक–19.10.2016 को मृत्यु हो गयी है। उनके स्थान पर उनके निम्न उतराधिकारियों को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। 1. पवन कुमार – पुत्र 2. चन्दन कुमार – पुत्र 3. कुन्दन कुमार – पुत्र 4. अनु कुमारी – पुत्री 5. पिंकी कुमारी – पुत्री 6. रूकमणि देवी – पत्नी दिनांक–25.04.2017 को Substituiton Petition स्वीकृत करते हुए श्रीकान्त प्रसाद शर्मा के स्थान पर उनके उतराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी। विपक्षी कन्हैया प्रसाद शर्मा की तरफ से दिनांक–16.04.2013 को इस वाद में प्रतिउतर दायर किया गया है। दिनांक–07.05.2014 से विपक्षी के द्वारा इस वाद में पैरवी करना छोड़ दिया। अंततः एक पक्षीय सुनवाई कर दिनांक–11.02.2018 को आदेश पर रखा गया। **आवेदक का कहना है कि** (1) पंडारक अंचल अंतर्गत मौजा–ढीबर दरियापुर खाता नं0 305, खेसरा नं0 1156 रकवा 63डी0 के वास्तविक मालिक मुंशी गोप थे। अम्बिका प्रसाद सिंह एवं उनके भाई मथुरा प्रसाद सिंह के द्वारा दिनांक–29.11.1930 के केवाला से मुंशी गोप से खरीदी गयी। (2) मथुरा प्रसाद सिंह की निःसंतान अवस्था में मृत्यु हो गयी तथा विवादित भूखण्ड का कुल 63डी0 रकवा अम्बिका प्रसाद सिंह के दखल में आ गया। (3) विपक्षीगण के द्वारा फर्जी बंटवारानामा तैयार कर अम्बिका प्रसाद	

सिंह को बिना कोई सूचना दिए वाद सं0 442(27)/1969–70 के द्वारा अपने नाम से जमाबंदी सं0 222 कायम करवा ली गयी।

(4) अम्बिका प्रसाद सिंह की वर्ष 1986 में मृत्यु हो गयी, परन्तु अम्बिका प्रसाद सिंह को अपने जीवन काल में उक्त दाखिल खारिज वाद सं0 442(27)/1969–70 से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुयी।

(5) आवेदक श्रीकान्त शर्मा, अम्बिका प्रसाद सिंह के पुत्र है, जिन्हें N.T.P.C के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान दिनांक–23.06.2008 को इस बात की जानकारी मिली।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 442(27)/1969–70 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 02/2008–09 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए दिनांक–17.02.2009 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(7) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2008–09 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दिनांक–17.02.2009 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

विपक्षी की तरफ से प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

(1) प्रस्तुत वाद काल बाधित है, जो चलने योग्य नहीं है तथा खारिज करने लायक है।

(2) आवेदक के द्वारा विवादित भूखण्ड पर अपने दावे के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) विवादित भूखण्ड संयुक्त परिवार की सम्पति थी। वर्ष 1960 में पारिवारिक बंटवारा के आधार पर प्रश्नगत खेसरा सं0 1156 का 51डी0 विपक्षी के पिता को तथा 11डी0 अम्बिका प्रसाद सिंह को मिला था। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 442(27)/1969–70 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पंडारक के द्वारा दिनांक–31.03.1970 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। वर्ष 2007–08 तक लगान रसीद एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड का अर्जन एन0टी0पी0सी0 बाढ़ परियोजना हेतु किया गया तथा विपक्षी को उसका मुआवजा भुगतान किया गया।

(5) आवेदक के द्वारा कभी भी विवादित भूखण्ड पर विपक्षी के दखल पर आपति नहीं की गयी। अब इतने वर्षो के बाद आपति की जा रही है।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2008–09 में पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 02/2008–09 में दिनांक–17.02.2009 को पारित आदेश में कहा गया है कि दाखिल खारिज वाद सं0 442(27)/1969–70 में पारित आदेश के विरूद्ध 38 वर्ष के बाद अपील दायर की गयी है। उक्त दाखिल खारिज बंटवारानामा के आधारपर किया गया था। वादी का तर्क है कि बंटवारानामा पर वादी के पिता स्व0 अम्बिका प्रसाद सिंह का हस्ताक्षर जाली है। उक्त बंटवारानामा में शामिल हिस्सेदार आज की तिथि में जीवित नहीं है। ऐसी स्थिति में बंटवारानामा में किए गये हस्ताक्षर की वैद्यता की जांच संभव नहीं है। अतः अपील अस्वीकृत की जाती है।

मैं भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के उक्त आदेश से सहमत हूँ। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ का आदेश विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह स्वत्व एवं हिस्से के बंटवारा का मामला है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

24/11/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना